छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

छठवीं मंज़िल, टॉवर ''सी'', कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी. सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

जिले के अन्दर एवं जिले के बाहर एक भण्डारण केन्द्र से दूसरे भण्डारण केन्द्र तक वर्ष 2020–21 में रासायनिक उर्वरक परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंज़िल, टॉवर ''सी'', कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) 492002

रासायनिक उर्वरक जिले के अंदर/बाहर एक भण्डारण केन्द्र से दूसरे भण्डारण केन्द्र तक परिवहन हेतु ई–निविदा प्रपत्र की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	निविदाकार का नाम,पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	2
02	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाये परिशिष्ट –1	3–11
03	निविदाकार का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बिड हेतु परिशिष्ट –2	12–13
04	जिले के अंदर/बाहर रासायनिक उर्वरक परिवहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय बिड हेतु परिशिष्ट –3	14
05	निविदाकार का घोषणा पत्र परिशिष्ट – 4	15
06	निविदाकार से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ट –5	16–18
07	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –6	19–24
08	शपथ पत्र परिशिष्ट – 7	25

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

कार्यालय छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) 492002

रासायनिक उर्वरक जिले के अंदर/बाहर एक भण्डारण केन्द्र से दूसरे भण्डारण केन्द्र तक परिवहन ई–निविदा वर्ष 2020–21

1. निविदाकर्ता का नाम व पता — श्री/सुश्री.....
   पिता/पति का नाम.....
2. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम, ...
   पूर्ण पता एवं मोबाईल नं. .....

छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से जिले के अन्दर एवं जिले के बाहर एक भण्डारण केन्द्र से दूसरे भण्डारण केन्द्र तक रासायनिक उर्वरक परिवहन कार्य हेतु प्रतिष्ठित परिवहनकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्यूल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	26-06-2020	5:00 PM
Bid Due Date	27-07-2020	12:00 NOON
Bid Open Date from	27-07-2020	1:00 PM

प्रिबीड मिटिंग दिनांक 06.07.2020 को दोपहर 12 बजे विपणन संघ मुख्यालय में आयोजित की जावेगी।

टेक्निकल बिड के परीक्षण उपरांत फाईनेंशियल बिड खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

टिप्पणी :–

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फॉर्म अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 27-07-2020 को दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/ कनेक्टीविटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैनुअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की राशि रूपये 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) किसी भी अनुसूचित बैंक से "छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या." पेबल (Payable- संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी.(डिमांड ड्राफ्ट) बनवाकर डी.डी. की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा एवं रूपये 311 /- (तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बिड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
6. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई–प्रोक्युरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक **1** से **25** तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट–1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय का जिले के अन्दर एवं जिले के बाहर एक भण्डारण केन्द्र से दूसरे भण्डारण केन्द्र तक रासायनिक उर्वरक परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा–निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाले अनुबंध (संविदा) के भाग/अंग माने जावेंगेः–

1. निविदाकार द्वारा निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। प्रत्येक जिले हेतु पृथक–पृथक अमानत राशि ली जाएगी एवं पृथक–पृथक निविदा भरी जाएगी। एक परिवहनकर्ता एक से अधिक जिले हेतु निविदा भर सकते हैं।

1.1 निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट–2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति स्कैन कर ऑनलाईन संलग्न करें। यह सभी दस्तावेज़ निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।

1.2 निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बिड में परिशिष्ट–2 अनुसार संलग्न करें :–

(i) निर्धारित अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. के संबंधित जिले के नाम से देय हो को तैयार कर ई–प्रोक्योरमेंट साईट में अपलोड किया जावे। जिलेवार अमानत राशि का विवरण कंडिका – 3.1 में उल्लेखित है।

(ii) निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम दो ट्रकों के रजिस्ट्रेशन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी वाहन का विवरण (vehicle particular) की सत्यापित प्रति जिसमें फिटनेस, टैक्स एवं बीमा की वैधता उल्लेखित हो प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) निविदाकार यदि कम्पनी है तो उसके पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निगमन का प्रमाण–पत्र। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र अथवा मुख्तयारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित।

(v) परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का ई.पी.एफ, ई.एस.आई आदि कोड नं. एवं गतवर्ष जमा कराये गये ई.पी.एफ, ई.एस.आई आदि का प्रमाण–पत्र।

(vi) आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड) एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी दो वित्तीय वर्षों के आयकर विवरण की सत्यप्रतिलिपि।

(vii) निविदाकार किसी भी प्रांत में केन्द्र शासन/राज्य शासन/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है, के संबंध में रूपये 50 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

1.3 निविदाकार को निविदा फॉर्म भरने के पूर्व संबंधित जिले के भंडारण केन्द्रों से विपणन संघ के अन्य भंडारण केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, बाद में इस आधार पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षित है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

1.4 निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर लें। यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.5 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा (अनुबंध) एवं अन्य समस्त दस्तावेज़ प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.6 भंडारण केन्द्र/जिला कार्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नं., प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र (फोटोग्राफ) अनुबंध के साथ प्रमाणित कर संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसके स्वयं की होगी तथा उसके भविष्यनिधि उपादान, अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

1.7 निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत दस्तावेज़ का परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोला जायेगा।

1.8 वित्तीय बिड में निविदा दरें परिशिष्ट–03 अनुसार भरी जानी आवश्यक होंगी।

1.9 निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

1.10 सत्यनिष्ठा संधि सफल निविदाकार द्वारा पृथक से टेण्डर अवार्ड होने के बाद संबंधित जिला कार्यालय में संपादित किया जावेगा।

1.11 निविदाकार द्वारा उनके अंतर्गत समस्त कर्मचारी के ई.पी.एफ, ई.एस.आई आदि के भुगतान रिटर्न जमा होने के पश्चात् संबंधित जिला विपणन कार्यालय के पुष्टि उपरांत उनके देयकों का भुगतान किया जावेगा।

2 <u>निविदा फार्म भरने के दिशा–निर्देश :–</u>

2.1 **दरें :–** निविदा फॉर्म में रासायनिक उर्वरक परिवहन हेतु जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक परिवहन की दरें ऑनलाईन अंको में तथा शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप की कंडिका निविदा कार्य से संबंधित न हो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावे।

2.2 निविदाकार एक से अधिक जिलों के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु इस हेतु ट्रक नंबर की पुनरावृत्ति (रिपिटेशन) मान्य नहीं किया जावेगा। एक ही ट्रक नंबर को एक से अधिक जिले के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी जिसके लिये परिशिष्ट – 7 अनुसार शपथ पत्र रू. 50.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं न्यूनतम दर वाले किसी एक जिले को छोड़कर शेष जिले में जमा अमानत राशि विपणन संघ द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

2.3 ऑनलाईन ई–निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

3 **अमानत राशि :–**

3.1 प्रत्येक जिले की प्रत्येक निविदा के साथ निम्नानुसार पृथक–पृथक अमानत राशि बैंक गारंटी/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ..... (जिला कार्यालय का नाम) के नाम से देय होगा।

क्र.	जिले का नाम	अमानत राशि (रूपये में)
1	रायपुर	25000
2	गरियाबंद	25000
3	बलौदाबाजार–भाटापारा	25000
4	महासमुंद	25000
5	धमतरी	25000
6	दुर्ग	25000
7	बालोद	25000
8	बेमेतरा	25000
9	राजनांदगांव	25000
10	कवर्धा	25000
11	जगदलपुर	25000
12	नारायणपुर	10000
13	कोण्डागांव	10000
14	बीजापुर	10000
15	सुकमा	10000
16	कांकेर	25000
17	बिलासपुर	25000
18	मुंगेली	25000
19	जांजगीर–चाम्पा	25000
20	कोरबा	10000
21	रायगढ़	25000
22	जशपुर	10000
23	सरगुजा	25000
24	बलरामपुर	10000
25	सूरजपुर	25000
26	कोरिया	10000

3.2 पूर्व कंडिका (1.2) के अनुसार बिना वांछित दस्तावेज के प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा।

3.3 निम्न परिस्थितियों में अमानत राशि जप्त की जावेगी :–

i) यदि निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के बाद रासायनिक खाद परिवहन कार्य करने में असमर्थ रहता है या मना करता है या उसकी शर्तों तथा नियमों में संशोधन करता है।

ii) यदि निविदाकार निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वांछित अभिलेख जमा करने में असफल रहता है।

iii) यदि निविदाकार निर्धारित सुरक्षानिधि जमा करने में असफल रहता है।

iv) यदि सफल निविदाकार निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में परिवहन कार्य के लिये अनुबंध नहीं करता है।

ऐसी जप्ती की सूचना विपणन संघ को पृथक से निविदाकार को देना आवश्यक नहीं होगा।

3.4 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर युक्तियुक्त अवधि में वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

3.5 पूर्व में काली सूची में डाले गए बकायादार/परिवहनकर्ता ई–निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

4. **निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–**

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा/कर रहे व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि, वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फर्म के भागीदार फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म में समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है एवं निविदा दस्तावेज पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें अथवा सभी भागीदारों द्वारा संबंधित भागीदार के पक्ष में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदाकार एक कंपनी है तो उसके संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यप्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले संचालक के पक्ष में अधिकार पत्र जिस हैसियत से निविदाकार निविदा में हस्ताक्षर कर रहा हो उसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. **निविदा निष्पादित करना :–**

5.1 **सुरक्षा निधि** :– सफल निविदाकार को संबंधित जिले के लिये निम्नानुसार सुरक्षा निधि, अमानत राशि के अतिरिक्त देनी होगी। सुरक्षानिधि भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत दिनांक से एक वर्ष तक की वैधता अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी तथा आवश्यकतानुसार इसमें वृद्वि की जा सकेगी।

क्र.	जिले का नाम	सुरक्षानिधि की राशि (लाख रूपये में)
1	रायपुर	2.00
2	गरियाबंद	2.00
3	बलौदाबाजार–भाटापारा	2.00
4	महासमुंद	2.00
5	धमतरी	2.00
6	दुर्ग	2.00
7	बालोद	2.00
8	बेमेतरा	2.00
9	राजनांदगांव	2.00
10	कवर्धा	1.00
11	जगदलपुर	2.00
12	नारायणपुर	0.50
13	कोण्डागांव	0.50
14	बीजापुर	0.50
15	सुकमा	0.50
16	कांकेर	2.00
17	बिलासपुर	2.00
18	मुंगेली	1.00
19	जांजगीर–चाम्पा	2.00
20	कोरबा	0.50
21	रायगढ़	2.00
22	जशपुर	0.50
23	सरगुजा	1.00
24	बलरामपुर	0.50
25	सूरजपुर	1.00
26	कोरिया	0.50

5.2 विपणन संघ के जिला कार्यालय द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में निर्धारित सुरक्षा निधि (प्रतिभूति राशि) जमा कर विपणन संघ द्वारा निर्धारित अनुबंध (संविदा) 100.00 रूपये (एक सौ रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर विपणन संघ के जिला कार्यालय में इकरारनामा (अनुबंध) निष्पादित करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर अमानत राशि जप्त की जावेगी। परिवहनकर्ता निर्धारित कार्य के लिए नियोजित/प्राधिकृत श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम एवं पते की सूची जिला विपणन अधिकारी को सौंपेगा। अनुबंध का प्रारूप निविदा दस्तावेज़ में परिशिष्ट–5 संलग्न है।

6. **नाममात्र सदस्यता प्राप्त करना :–**

सफल परिवहनकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, जो 1010 रू. (एक हजार दस रू.) की होगी।

7 **विविध :–**

7.1 एल–1 निर्धारण की कार्यवाही निविदाकार द्वारा दर की अनुसूची के आधार पर प्रस्तावित कमी/वृद्धि के प्रतिशत अनुसार सभी स्लैब के लिये प्रस्तुत किये गये दर के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

- रासायनिक उर्वरक लोडिंग/अनलोडिंग स्टेकिंग सहित की दर रू.110 प्रति टन (रू. 55 प्रति टन लोडिंग एवं रू. 55 प्रति टन अनलोडिंग स्टेकिंग सहित) विपणन संघ द्वारा निर्धारित की गई है।
- निविदाकार द्वारा निविदा में जो दर प्रस्तुत की जावेगी, उक्त दर के संबंध में निविदाकार को औचित्य सहित कारण (price justification) जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण कर मान्य/अमान्य किया जावेगा। निविदा मान्य होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा निविदा में प्राप्त दर पर निगोसियेशन कर सकेगा।
- यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा न्यूनतम दर पर परिवहन का कार्य नहीं किया जाता है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं तीन वर्ष हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को प्रथम न्यूनतम प्राप्त दर पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव दिया जावेगा। यदि द्वितीय निविदाकार द्वारा भी असहमति व्यक्त की जाती है, तो अन्य निविदाकारों से उक्त दर पर कार्य करने हेतु चर्चा की जावेगी। यदि एल–1 दर पर अन्य निविदाकार भी कार्य करने हेतु तैयार नहीं होते तो एल–2 दर पर कार्य कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके अंतर की राशि एल–1 निविदाकार से वसूल की जावेगी, यह वसूली भू–राजस्व के भांति जिला कलेक्टर के माध्यम से की जावेगी।
- विशेष परिस्थिति में जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार यदि किसी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन कार्य कराये जाने की स्थिति में उक्त परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ द्वारा जारी अनुबंध पत्रक में अनुबंध निष्पादन किया जाना होगा तथा परिवहन किये गये मात्रा की लागत का 3 प्रतिशत सुरक्षानिधि की राशि जमा किया जावेगा।

7.2 किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार जिला समन्वय समिति/प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को होगा।

7.3 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त सम्मिलित नहीं करनी है, क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

7.4 निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति, कार्य की महत्ता आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

7.5 **निविदाकार द्वारा रासायनिक उर्वरक परिवहन हेतु दर की अनुसूची के आधार पर वृद्धि/कमी के प्रतिशत में दरें प्रस्तुत की जाये।** उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। आयकर एवं अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों के पेटे भुगतान योग्य राशि की वसूली उसके द्वारा जमा अमानत राशि/किसी भी प्रकार की देय राशि से की जावेगी।

7.6 भारत सरकार, राज्य शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये सभी वैधानिक एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर निविदाकार द्वारा देय होगा। आशय यह है कि निविदा दरों में उपरोक्त सभी प्रकार के कर शुल्क शामिल हैं।

7.7 निविदा पर विचार प्रस्तावित प्रतिशत के आधार पर किया जावेगा, लोडिंग/अनलोडिंग (स्टेकिंग सहित) की दरों को शामिल नहीं किया जावेगा।

7.8 निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा की गयी अमानत राशि अथवा किसी प्रकार की राशि वर्तमान निविदा के लिए मान्य नहीं होगी तथा जमा की गई अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

7.9 जिला विपणन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त निविदाओं को जिला स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा तथा न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को निगोसियेशन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इसकी जानकारी संबंधित जिला विपणन अधिकारी द्वारा निविदाकार को दी जावेगी।

7.10 इकरारनामा निष्पादित करते समय सफल निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में निर्धारित राशि निर्धारित अवधि के लिए तथा निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7.11 सफल निविदाकार को संबंधित जिले से लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् बताये गये कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अनुबंधित परिवहनकर्ता को जिले के भण्डारण केन्द्रों में दर्शित खाद का परिवहन निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा परिवहन के अभाव में होने वाली क्षति की वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से की जावेगी। परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह जिले/भण्डारण केन्द्र से संपर्क कर खाद परिवहन का कार्य संपादित करें।

7.12 सफल निविदाकार को अनुबंध के अनुसार संबंधित परिवहन इत्यादि कार्य के देयक समय पर संबंधित जिला विपणन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

8 अनुबंध की अवधि –

8.1 निविदा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी।

8.2 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर अनुबंध निष्पादित दिनांक से एक वर्ष तक के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा। निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि प्रबंध संचालक द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

8.3 अनुबंध की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारंटी विपणन संघ की नहीं रहेगी।

9. कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व :–

9.1 रासायनिक खाद उतराई, छल्ली लगाने के लिए क्रमशः उतराई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों/हमालों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

9.2 यह आवश्यक होगा कि अनुबंध करने के पूर्व सफल निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को उपरोक्त सभी अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र लेकर संबंधित जिला कार्यालय में देना होगा, कार्य समाप्त होने पर सफल निविदाकार को संबंधित जिले में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत नो–ड्यूस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही अमानत राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कार्य समाप्ति के पूर्व सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानत राशि राजसात की जायेगी।

9.3 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित जिला विपणन अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए समस्त दायित्वों के लिए परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

9.4 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/हमालों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं, हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में विपणन संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9.5 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/हमालों के नाम, पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को अनुबंध के साथ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह तत्काल जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा एवं उनके द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

9.6 परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

9.7 यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा।

9.8 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा समय–समय पर अधिरोपित जो भी देय हो, परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा, आशय यह है कि स्वीकृत दर के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

9.9 संबंधित जिला कलेक्टर/प्रबंध संचालक, विपणन संघ/जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत परिवहन कार्य में गति लाने हेतु जो भी निर्देश समय–समय पर दिये जाते हैं, इसका पालन करना अनिवार्य होगा।

10. निविदाकार को संघ जिला कार्यालय/भण्डारण केन्द्र या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की लिखित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रासायनिक खाद परिवहन संबंधित भंडारण केन्द्रों से करना होगा, इसके लिए आवश्यकतानुसार ट्रक, मजदूर/हमाल की व्यवस्था परिवहकर्ता की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमेज/नुकसान की संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर विपणन संघ को अधिकार होगा कि बाजार से ट्रक, मजदूर का कार्य किसी भी दर पर करा लेवें। यदि स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई सफल निविदाकार के परिवहन बिलों से कटौती कर अथवा उसकी जमा अमानत राशि से वसूल की जावेगी।

11. ट्रक के साथ खाद के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी, हमालों का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जायेगा। विपणन संघ किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा।

12. परिवहनकर्ता द्वारा केवल वही ट्रक खाद ढुलाई हेतु लगाये जावेगें जो सही और अच्छी हालत में हो तथा आर.टी.ओ. से फिटनेस सहित समस्त वैधानिक पूर्ति करना निविदाकार का उत्तरदायित्व रहेगा।

13. यदि निविदाकार द्वारा उसके मूल ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया विपणन संघ का स्कंध समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है, वह हानि निविदाकार द्वारा विपणन संघ को तीन दिवस के अंदर देय होगी। विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि की वसूली अमानत राशि/सुरक्षानिधि की राशि में से अथवा निविदाकार के लंबित बिलों से अथवा निविदाकार को उक्त हानि की राशि विपणन संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। लोडेड ट्रक का इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

14 विपणन संघ द्वारा परिवहनकर्ता को प्रदत्त स्कंध विपणन संघ द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित पावती लेनी होगी।

15. निविदाकार के द्वारा भंडारण केन्द्र से स्कंध उसके ट्रक से लोड कर दिये जाने के पश्चात् स्कंध की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार पर होगी।

16. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु निविदाकार ही उत्तरदायी होगा और उसकी अमानत राशि या देय परिवहन देयकों से यह राशि विपणन संघ वसूल कर लेगा।

17. परिवहन के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होने चाहिए। उनका बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो ट्रक परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, साथ ही स्कंध के लोड के लिए माल की हानि होती है या उसके गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

18. निविदाकार को परिवहन बिल समय पर प्रस्तुत करना होगा। स्कंध डिलेव्हरी देने के प्रमाण के रूप में भंडारण केन्द्र जहां माल भेजा गया हो, पर नियुक्त विपणन संघ के अधिकृत अभिकर्ता गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पावती ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा जिसे निविदाकार स्कंध गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर स्कंध सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह पावती प्राप्ति की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। भुगतान विपणन संघ से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बिल प्रस्तुती पर परीक्षण कर किया जाएगा।

19. निविदाकार को सौंपे गये स्कंध का परिवहन न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में स्कंध का परिवहन अन्य मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने विपणन संघ से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

20. राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम भार क्षमता के अनुरूप ही परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन किया जावेगा।

21. परिवहनकर्ता द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची उसी दिन जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

22. <u>विवादों का निराकरण</u> –

22.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन के समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकरी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर अथवा उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/अवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

22.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही, आर्बीट्रेशन कॉन्सिल एक्ट, 1996 (नं. 26 आफ 1996) के अंतर्गत होगी और ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

23 <u>व्यवहार एवं आचरण</u> –

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक विपणन संघ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सामंजस्य स्थापित कर विवेक रखते हुए परिवहन कार्यों के सुचारू संपादन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

24 निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों/विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा, तथा संशोधन/शुद्धि पत्र निविदा भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के पूर्व तक जारी किया जा सकेगा।

25 <u>INTEGRITY PACT</u>

As per the directions of the finance & planning Department Government of Chhattisgarh vide their letter No.243/Fin/Dir/4/2013 Naya Raipur Date 6th July 2013, an INTEGRITY PACT has to be entered into between MARKFED and the Tenderer/Bidder/Seller/ Contractor and the aforesaid pact will be an integral part of the Tender Document. Such Integrity pact has to be mandatorily attached along with the Tender Document. In the event of non-submission/incomplete submission of the INTEGRITY PACT along with the Tender Document, the Tenderer/ Bidder/Seller/Contractor shall be liable for rejection summarily and shall be considered as unresponsive/invalid. A format of INTEGRITY PACT is attached with this Tender Document. The aforesaid pact has to be dully sealed, signed and stamped (on the letterhead of the Tenderer/Bidder/Seller/Contractor) in case if the Tenderer/Bidder/Seller/ Contractor is a company/firm by the Authorized signatory/Director/ Partners and to be attached, in all complete respects, along with the Tender Document. Further, this INTEGRITY PACT is deemed to have been signed by the MARKFED.

परिशिष्ट–2

भाग – "क"

(तकनीकी बिड)

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	
1.	निविदाकार का पूरा नाम व पता	
2.	दूरभाष/मोबाईल क्रमांक/कार्यालय निवास	
3.	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)	
4.	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	
5.	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) और यदि कंपनी हो तो मार्गदर्शक सूचना की कंडिका 1.2(iv) में दिये गये प्रपत्र संलग्न करें	
6.	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7(क)	विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी दो वित्तीय वर्ष का आयकर विवरणी की प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
(ख)	आयकर स्थाई लेखा संख्या (पेनकार्ड एवं जीएसटी पंजीयन) (प्रति संलग्न करें)	
8.	बैंक का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें)	
9.	स्वयं/फर्म/कंपनी के नाम कितने भारीमाल वाहन (पंजीयन एवं vehicle particular की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	वाहन का पंजीयन क्रमांक
10.	वर्तमान में किस शासकीय/अर्द्धशासकीय /अन्य संस्था में परिवहन कार्य यदि कर रहें हैं, विवरण दें	

11.	निविदाकर्ता किसी भी प्रांत में विगत दो वर्ष में केन्द्र शासन/राज्य शासन/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा परिवहन कार्य से प्रतिबंधित/परिवहन कार्य को पूर्ण नही करने एवं काली सूची में दर्ज नहीं है के संबंध में रूपये 50 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जो विज्ञापन तिथि के बाद का हो संलग्न करें।	
12.	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण (संलग्न करें)	रूपये कुल ..... डीडी नंबर.....दिनांक..... बैंक का नाम .....
13.	परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का पीएफ कोड नंबर एवं गत वर्ष जमा कराये गये पीएफ का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	

2. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर.....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर .....

परिशिष्ट–3

भाग–''ख''
(वित्तीय बिड)

जिले के अंदर एवं जिले के बाहर एक भण्डारण केन्द्र से दूसरे भण्डारण केन्द्र तक रासायनिक खाद परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा

वर्ष 2020–21 में परिवहन कार्य हेतु विपणन संघ द्वारा दर की अनुसूची (SOR) तैयार किया गया है। स्लैबवार तैयार किये गये दर की अनुसूची को ध्यान में रखते हुए निविदाकार द्वारा दर की अनुसूची पर कमी/वृद्धि के आधार पर प्रतिशत में अपनी दरें प्रस्तावित की जानी है।

निविदाकार द्वारा परिवहन हेतु दर की अनुसूची के आधार पर वृद्धि/कमी के प्रतिशत में अपनी दरें प्रस्तावित की जाये।

निम्नानुसार तालिका मे कमांक 4 हेतु जो दरें प्रस्तावित की जावेंगी, वह समस्त कर सहित होंगी।

1. कार्यालय का नाम जिसके लिए निविदा भरा जा रहा है :–	
2. निविदाकार का नाम, पूरा पता, ई–मेल, दूरभाष/मोबाईल नंबर :–	

3	**स्लैब वाईस दरें :–**	
क.	**स्लैब (**कि.मी.)	दर की अनुसूची (**SOR**)मात्रा 16 टन परिवहन के आधार पर दर
1	0–8 कि.मी. तक	7.74 (स्थानीय/लोकल)
2	8–20 कि.मी. तक	5.35 (प्रति टन प्रति किमी)
3	20 से 40 कि.मी. तक	3.75 (प्रति टन प्रति किमी)
4	40 से 80 कि.मी. तक	2.96 (प्रति टन प्रति किमी)
5	80 कि.मी. से अधिक	2.37 (प्रति टन प्रति किमी)

4. निविदा दर –

क.	सेवा कार्य का विवरण	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	रासायनिक खाद परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा दर की अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति टन प्रति किमी)	

- ❖ रासायनिक खाद परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा दर की अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति टन प्रति किमी) के साथ ऑनलाईन–ई निविदा में ABOVE SOR एवं BELOW SOR अंकित करना अनिवार्य हैं। सभी स्लैब के लिये एक ही अनुपात में वृद्धि या कमी प्रस्तावित की जायेगी।
- ❖ दर की अनुसूची के आधार पर निविदाकार द्वारा प्रस्तावित कमी/वृद्धि के प्रतिशत अनुसार निर्धारित स्लैब के अंतर्गत अधिकतम दूरी पर वास्तविक भुगतान की गणना हेतु excel calculator sheet पृथक से ऑनलाईन ई–प्रोक्युरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदाकारो से अनुरोध है कि दर प्रस्तावित करने के पूर्व ऑनलाईन ई–प्रोक्युरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध excel calculator sheet के माध्यम से वास्तविक भुगतान की गणना का अवलोकन अवश्य करें।

निविदाकार का घोषणा पत्र

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा वांछित भंडारण केन्द्र से रासायनिक खाद जिले के अंदर/बाहर परिवहन (अनलोड स्टेकिंग सहित करने तथा परिवहन करने के कार्य हेतु) प्रकाशित निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को हमने/मैंने भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. हम/मैं भंडारण केन्द्र से अनलोडिंग एवं परिवहन कार्य के लिये जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक परिवहन कार्य निम्नानुसार दरों पर कार्य करना स्वीकार करते/करता हूँ।
3. मैं/हमारे द्वारा विपणन संघ द्वारा परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिये लागू की जाने वाली व्यवस्था/प्रावधान का पालन करने के लिये बंधनकारी होंगे तथा समय–समय पर संघ द्वारा की जा रही व्यवस्था को मानने के लिये सहमत हैं/हूँ।
4. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।
5. उपरोक्त दर आपकी निविदा शर्तों की समस्त कंडिकाओं को स्वीकार करते हुए दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही तीव्रता से परिवहन का कार्य करूंगा एवं आवश्यकतानुसार बाहर से भी ट्रकें उपलब्ध कराकर कार्य समय–सीमा में संपन्न करूंगा। यदि लिखित एवं मौखिक सूचना मिलने पर समय सीमा के भीतर परिवहन का कार्य नहीं करता हूँ तो विपणन संघ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिसमें आने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये मैं स्वतः जवाबदार रहूँगा।
6. परिवहन कार्य के संबंध में सभी विवादों और इकरारनामा में वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
7. मैं/हमारे द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक हैं। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। मैं/हमारे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बिड में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।

उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र निविदाकार को अपने फर्म के लेटर हेड पर निविदा के तकनीकी बिड के अंतर्गत वांछित दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाईन संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट –5

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय छठवीं मंज़िल, टॉवर ''सी'', कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग) 492002 में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया गया है, कि ओर से पक्ष क्रमांक 01, जिला विपणन अधिकारी..... .....अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष क्रमांक 02, मेसर्स.....की ओर से श्री/सुश्री ..... वल्द..... ..... जिला.....के निवासी हैं, जिसे आगे परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के.....केन्द्र से वर्ष 2020–21 में निविदा स्वीकृति दिनांक से दिनांक.....तक की अवधि को मेसर्स.....जिला विपणन अधिकारी ..... के जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक रासायनिक खाद परिवहन हेतु इस इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों पर स्वीकार किया गया है।

क्र.	सेवा कार्य का विवरण	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	रासायनिक खाद परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा दर की अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति टन प्रति किमी)	
2	लोडिंग/अनलोडिंग स्टैकिंग सहित की दर (प्रति बोरी)	रू. 110 प्रति टन(रू. 55 प्रति टन लोडिंग एवं रू. 55 प्रति टन अनलोडिंग स्टेकिंग सहित)

1. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के जिले के अंदर एवं जिले के बाहर नियत स्थान तक पहुंचाने का कार्य हेतु निम्नानुसार दर्शायी गयी दरों पर किया जावेगा और मैं/हम यह कार्य विपणन संघ की शर्तों पर करने हेतु पूर्ण सहमत हैं।
2. इस इकरारनामा के साथ पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जमा की गई अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।
3. यह कि पक्ष 02 को पक्ष 01 के जिला कार्यालय/इकाई या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रासायनिक खाद का परिवहन संबंधित भण्डारण केन्द्र से समय–सीमा के अंदर करना होगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में ट्रक, मजदूर/हमाल की व्यवस्था पक्ष 02 की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमेज/नुकसान की संपूर्ण जवाबदारी पक्ष 02 की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर संघ को अधिकार होगा कि, बाजार से, किसी भी दर पर कार्य करा लेवें। यदि स्वीकृत से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई पक्ष 02 तीन दिवस के अंदर नगद जमा करेगा, अन्यथा विपणन संघ को अधिकार होगा कि वह पक्ष 02 के परिवहन बिलों से कटौती करें अथवा उसकी जमा अमानत राशि से इस राशि को वसूल करें।
4. ट्रक के साथ रासायनिक खाद की लोडिंग एवं अनलोडिंग (स्टेकिंग सहित) के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी, हमालों का भुगतान पक्ष 02 द्वारा किया जायेगा। पक्ष 01 किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा। इस हेतु लागू श्रम, भविष्य निधि एवं संबंधित अन्य विधियों, नियमों, उपनियमों के पालन का उत्तरदायित्व पक्ष 02 का होगा।
5. यदि किसी स्थान पर पक्ष 02 द्वारा लोडिंग एवं अनलोडिंग (स्टेकिंग सहित) आदि का भुगतान नहीं किया जाता एवं पक्ष 01 को लोडिंग/अनलोडिंग प्रभार का भुगतान करना पड़ता है तो पक्ष 01 द्वारा किये गये भुगतान से तीन गुना अधिक राशि उसके बिल में से काटी जायेगी।

6. पक्ष 02 द्वारा केवल वही ट्रक खाद ढुलाई हेतु लगायें जावेगें जो सही और अच्छी हालत में हों तथा आर.टी.ओ. से फिटनेस सहित समस्त वैधानिक पूर्ति पक्ष 02 का उत्तरदायित्व होगा। पक्ष 02 का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि संघ द्वारा खाद उसके ट्रक में लोड किया (भरा) जाता है, सही व सुरक्षित हालत में गन्तव्य स्थान तक पहुंचाकर लोडिंग/अनलोडिंग (स्टेकिंग सहित) करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. यदि पक्ष 02 के द्वारा उसके मूल ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया पक्ष 01 का स्कंध समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या रखा जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है तो वह हानि पक्ष 02 द्वारा पक्ष 01 को तीन दिवस के अंदर देय होगी। पक्ष 01 को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि वसूली अमानत राशि/सुरक्षानिधि की राशि में से अथवा पक्ष 02 के लंबित बिलों से अथवा पक्ष 02 को उक्त हानि की राशि पक्ष 01 में जमा करना अनिवार्य होगा। लोडेड ट्रक का इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।
8. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित अधिकृत पावती लेनी होगी।
9. पक्ष 02 के द्वारा भंडारण केन्द्र से स्कंध उसके ट्रक से लोड कर दिये जाने के पश्चात् मार्ग में कहीं भी उतारा नहीं जावेगा। स्कंध की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 पर होगी।
10. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु पक्ष 02 ही उत्तरदायी होगा और उसकी अमानत राशि या देय परिवहन देयकों से यह राशि पक्ष 01 वसूल कर लेगा।
11. परिवहन के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उनका बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो उक्त के लिए ट्रक परिवहनकर्ता, मालिक एवं ठेकेदार जिम्मेदार होगा, साथ ही इससे लोड खाद की हानि होती है या गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।
12. पक्ष 02 को परिवहन बिल नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा। स्कंध डिलेव्हरी देने के प्रमाण के रूप में जिस केन्द्र को माल भेजा गया हो, वहाँ पर नियुक्त पक्ष 01 के अधिकृत गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पावती ही, बिल के साथ संलग्न कर देय होगा। जो पक्ष 02 स्कंध गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के अधिकृत गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर स्कंध सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह पावती प्राप्ति की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। भुगतान पक्ष 01 से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बिल प्रस्तुति पर परीक्षण कर किया जाएगा। भेजने वाले इकाई के द्वारा ही परिवहन बिल का भुगतान किया जावेगा।
13. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा न्यूनतम दर पर परिवहन का कार्य नहीं किया जाता है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि राजसात की जावेंगी एवं तीन वर्ष हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को प्रथम न्यूनतम प्राप्त दर पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव दिया जावेगा। यदि द्वितीय निविदाकार द्वारा भी असहमति व्यक्त की जाती है तो अन्य निविदाकारों से उक्त दर पर कार्य करने हेतु चर्चा की जावेगी। यदि एल–1 दर पर अन्य निविदाकार भी कार्य करने हेतु तैयार नहीं होते तो एल–2 दर पर कार्य कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके अंतर की राशि एल–1 निविदाकार से वसूल की जावेगी, यह वसूली भू–राजस्व के भांति जिला कलेक्टर के माध्यम से की जावेगी।

14. पक्ष 01 द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुये भी जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिले में परिवहन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत न्यूनतम दरों पर किसी भी परिवहनकर्ता से अनुबंध उपरांत परिवहन का कार्य किसी भण्डारण केन्द्र में कराया जा सकता है, इसमें अनुबंधित निविदाकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
15. पक्ष 02 को रेक प्वाईंट से गन्तव्य स्थान तक का दूरी प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।
16. पक्ष 02 को सौंपे गये स्कंध का परिवहन न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में स्कंध का परिवहन अधिक दूरी वाले मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।
17. यह इकरारनामा दिनांक ..... तक वैध होगा। इस अवधि में कार्य नहीं होता अथवा नई निविदा नहीं होती, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि प्रबंध संचालक, विपणन संघ द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
18. पक्ष 02 अमानत राशि के अतिरिक्त इस इकरारनामा के साथ निर्धारित सुरक्षानिधि जमा कर रहा है।
19. पक्ष 02 द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेंगे उसकी सूची उसी दिन जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।
20. सभी विवादों और इकरारनामा से संबंधित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
21. उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों तथा संबंधित दस्तावेज इस अनुबंध के अंग है।
22. रासायनिक खाद परिवहन हेतु समय–समय पर राज्य शासन एवं विपणन संघ द्वारा जारी निर्देश निविदा के भाग माने जायेंगे।
23. मैं (पक्ष क्रमांक 2) इस बात की पुष्टि करता हूं कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं।
24. उपरोक्तानुसार आज दिनांक ..... को इकरारनामा में हस्ताक्षर किये।

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

   पक्ष 01 छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

   पक्ष 02 परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ–6

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of.....

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative

of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the **BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including** the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL	**BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**
Name of the Officer **Destination** **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.**	**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**
Witness	**Witness**
1) _____	**1)** _____
2) _____	**2)** _____

परिशिष्ट –7

(पचास रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

शपथ पत्र

मैं/हम.....

यह निष्ठापूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा परिवहन निविदा के अंतर्गत निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 2.2 अनुसार एक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक दूसरे जिले हेतु प्रस्तुत करना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेंगी। तो उसके लिये मैं/हम जिम्मेदार/जवाबदार होंगे एवं निविदा निरस्त/अमान्य की जावें।

स्थान.....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

1.....

2.....

फोन नं. (कार्यालय).....

घर .....

मोबाइल नं.....